

**न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद**  
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

**प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 14/2018**

**दायर दिनांक : 04.06.2018**

**आदेश दिनांक : 29.08.2025**

1. रामचन्द्र पिता चुन्नीलालजी पूर्बिया, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कमलादेवी पत्नी चुन्नीलालजी पूर्बिया, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

**– प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

**– विपक्षीगण**

**क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997**

**एवार्ड क्रमांक 392 (अ) / दिनांक 06.02.2015 / दि० 01.07.2016**

**उपस्थित :-**

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

**:: निर्णय ::**

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 अंतर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 के तहत एवार्ड क्रमांक 392(अ) दिनांक 06.02.2015 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या दो द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए भू अवाप्ति की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा में गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई है और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की



*(Handwritten signature)*

जा रही हैं। अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थीगण की भूमि जो राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 3657/2831 रकबा 77 वर्गमीटर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500 रुपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी संख्या 1 का 5,06,977/- रुपये एवं प्रार्थी संख्या 2 का 57,211/- रुपये ही तय किया गया है जो कि 408/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 13 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। प्रार्थी संख्या 1 की भूमि से लगती हुई भूमि का मुआवजा 817 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अदा किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की, न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 77 वर्गमीटर अवाप्त होने पर कुल 830 वर्गफीट भूमि का मुआवजा मात्र 5,64,188/- रुपये ही अदा किये गये हैं जबकि 1500 रुपये की दर से 10,05,000/- रुपये देय होता है तथा उसके भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा जानबूझकर देरी से अदा किया गया है। भूमि अवाप्ति के संबंध में पारित की गई अधिसूचना के बाद मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 01.07.2016 को किया जाकर एवार्ड गलत रूप से कम जारी किया गया इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 1500 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की कुल अवाप्तशुदा भूमि 77 वर्गमीटर अर्थात् 830 वर्गफीट का मुआवजा 10,05,000/- रुपये जिस पर बाजार दर का डेढ़ गुना 15,07,500/- रुपये तथा इस पर दिनांक 04.10.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि 15,07,500/- रुपये प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के हितकर हो दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।



*(Signature)*

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नम्बर 3657/2831 रकबा 0.0077 हैक्टर अवाप्त होना स्वीकार, 3। 500 (अ) दि. 20.02.2014 एवं 3 डी 392(अ) दि. 06.02. 2015 को प्रकाशन हुआ। नियमानुसार रू. 6.20,519/- तत्समय प्रचलित DLC दर से ग्राम धोईन्दा में विधिवत् मुआवजा तय किया है, तथा प्रार्थीगण वर्तमान बाजार दर से भी अधिक दर रू. 1500/- प्रति वर्गफीट से मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढन्त तरीके से गणना की गई है एवं कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। नियमानुसार DLC रेट से मुआवजा निर्धारित किया है। प्रार्थीगण द्वारा क्लेम/वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से मुआवजा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के अनुसार NHA पर उक्त अधिनियम अक्षरशः लागू नहीं होता है तथा RFCTLARR Act 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र असामयिक होने से अभी पोषणीय नहीं है प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता के मार्फत नोटिस अवश्य प्रेषित किया गया है, किन्तु अब तक कोई क्लेम/वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से कार्यवाही लम्बित है। दिनांक 01.04.2015 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/ दावे आमंत्रित किये गये थे. यह सूचना दिनांक 02.04.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, इसके बावजूद प्रार्थीगण ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है. अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (1) में दिनांक 02.04.2015 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 392 दिनांक 06.02 2015 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 00.000 कि.मी से 30.000 कि.मी (भीलवाडा-राजसमंद सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये ग्राम धोईन्दा के खसरा सं. 3657/2831 रकबा 0.0080 (आबादी) व 0.0827 है0 भूमि किस्म वाणिज्यिक दर्ज है बाबत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 3657/2831 रकबा 0.0080 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0064 है0 (वाणिज्यिक) व 0.0013 है0 भूमि किस्म आवासीय पुनि उपयोग की भूमि है। अधिनियम की धारा 3 छ (3) पर लिये गये निर्णयानुसार तहसीलदार से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एव मौके की जाँच रिपोर्ट एवं दिनांक 20.02.2014 की प्रचलित दरों के आधार पर आबादी भूमि का 4400.84 रू प्रति वर्ग मीटर एवं वाणिज्यिक भूमि का 8801.68 रू प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा निर्धारण कर दिनांक 01.07.2016 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया है जो विधिनुसार है। अधिनियम की धारा 3 A प्रकाशन के बाद अधिनियम की धारा 3 D प्रकाशन तक राजमार्ग प्राधिकरण विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पूर्ण होती है, जिसमें समय लगना स्वभाविक है। सक्षम प्राधिकारी जी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में विधिवत अवार्ड जारी फरमाया है। सक्षम प्राधिकारीजी ने दिनांक 01.07.2016 को जो संशोधित



*[Handwritten signature]*

अवार्ड जारी फरमा दिया गया है एवं जवाबदाता द्वारा अवार्ड अनुसार राशि सक्षम प्राधिकारी जी को प्रेषित कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जवाबदाता के विरुद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि अवाप्ति में राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 3657/2831 रकबा 77 वर्गमीटर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500 रुपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी संख्या 1 का 5,06,977/- रुपये एवं प्रार्थी संख्या 2 का 57,211/- रुपये ही तय किया गया है जो कि 408/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 13 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। प्रार्थी संख्या 1 की भूमि से लगती हुई भूमि का मुआवजा 817 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अदा किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 77 वर्गमीटर अवाप्त होने पर कुल 830 वर्गफीट भूमि का मुआवजा मात्र 5,64,188/- रुपये ही अदा किये गये हैं जबकि 1500 रुपये की दर से 10,05,000/- रुपये देय होता है तथा उसके भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा जानबूझकर देरी से अदा किया गया है। भूमि अवाप्ति के संबंध में पारित की गई अधिसूचना के बाद मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 01.07.2016 को किया जाकर एवार्ड गलत रूप से कम जारी किया गया। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 1500 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है जबकि इससे लगती हुई भूमि 1500 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नम्बर 3657/2831 रकबा 0.0077 हैक्टर अवाप्त होना स्वीकार, 3A 500 (अ) दि. 20.02.2014 एवं 3 डी 392(अ) दि. 06.02.2015 को प्रकाशन हुआ। नियमानुसार रु. 6,20,519/- तत्समय प्रचलित DLC दर से ग्राम धोईन्दा में विधिवत् मुआवजा तय किया है, तथा प्रार्थीगण वर्तमान बाजार दर से भी



A handwritten signature in blue ink, likely of the District Collector, located at the bottom right of the page.

अधिक दर रु. 1500/- प्रति वर्गफीट से मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धोईन्दा के खसरा सं. 3657/2831 रकबा 0.0080 (आबादी) व 0.0827 है0 भूमि किस्म वाणिज्यिक दर्ज है बाबत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि NHAI द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 3657/2831 रकबा 0.0080 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0064 है0 (वाणिज्यिक) व 0.0013 है0 भूमि किस्म आवासीय उपयोग की भूमि है। अधिनियम की धारा 3छ(3) पर लिये गये निर्णयानुसार तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एव मौके की जाँच रिपोर्ट एवं दिनांक 20.02.2014 की प्रचलित दरों के आधार पर आबादी भूमि का 4400.84 रु प्रति वर्ग मीटर एवं वाणिज्यिक भूमि का 8801.68 रु प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा निर्धारण कर दिनांक 01.07.2016 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया है जो विधिनुसार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जवाबदाता के विरुद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनकर बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि इस प्रकरण में अवार्ड दिनांक 14.03.2016 तथा संशोधित अवार्ड दिनांक 01.07.2016 को जारी किये गये, दोनो ही अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किये गये।

प्रार्थी का इसमें यह कथन है कि जो अवार्ड पारित किया गया है वह अवार्ड RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार तोषण (solatium) राशि की गणना नहीं की गयी है। और बाजार दर से इसका भुगतान नहीं किया गया है। तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस अवार्ड का भुगतान कराया जाये।

चुंकि इस प्रकरण में अवार्ड दिनांक 14.03.2016 को जारी हुआ है। अर्थात् अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के पश्चात जारी हुआ है। भारत सरकार विधि एवं न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों में संशोधन कर दिया तथा यह निर्णित किया है कि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात जो भी अवार्ड जारी होगा उस पर अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। चाहे उसके अवाप्ति की प्रक्रिया उससे पहले भी प्रारम्भ हो चुकी हो। इस तथ्य से अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने भी सहमति व्यक्त की है। क्योंकि यह केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना है। जिसकी पालना हेतु एन.एच.




*Signature*

ए.आई द्वारा परिपत्र जारी किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि वह इस प्रकरण में अवार्ड की गणना RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः कार्यवाही करे तथा संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी अति जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(अरुण कुमार हसीजा)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द